



कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिला-महासमुन्द (छ.ग.0) 493445

Email-gmcmahasmund@gmail.com Phone No.07723-299171

क्रमांक / शाचिम / स्था. / 2024 / 3313.....

महासमुन्द, दिनांक 31.08.2024

// आदेश //

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 7946 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका डब्ल्यू (सी.आर.आई) क्रमांक 02/2024 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2024 एवं 22.08.2024 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 23.08.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुन्द एवं संबद्ध चिकित्सालय में अधिष्ठाता की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

Hospital Security Committee

क्रं.	नाम	पदनाम व विभाग	अध्यक्ष / सदस्य
1	डॉ. बसंत माहेश्वरी	संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय महासमुन्द	सदस्य सचिव
2	डॉ. शारजा फुलझेले	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शिशुरोग विभाग	सदस्य
3	श्रीमती मंजूलता बाज	एस.डी.ओ. (पुलिस) (अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित)	सदस्य
4	डॉ. घनश्याम साहू	सहायक अस्पताल अधीक्षक	सदस्य
5	डॉ. उज्ज्वला वारिनक	प्रदर्शक	सदस्य
6	डॉ. भूपेन्द्र सिन्हा	जूनियर रेसीडेंट मेडिसीन विभाग	सदस्य
7	डॉ. निखिल गोस्वामी	अस्पताल सलाहकार	सदस्य
8	श्री भूपेन्द्र कुमार साव	शासकीय अधिकारी	सदस्य
9	श्रीमती पुष्पा कन्नोजिया	नर्सिंग सिस्टर	सदस्य
10	अनामिका पाण्डे	इंटरन	सदस्य
11	तंजिला हाशमी	छात्रा, एम.बी.बी.एस. बैच 2022	सदस्य
12	स्पर्धा समीर	छात्रा, एम.बी.बी.एस. बैच 2023	सदस्य

Violence Prevention Committee

क्रं.	नाम	पदनाम व विभाग	अध्यक्ष / सदस्य
1	डॉ. बसंत माहेश्वरी	संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय महासमुन्द	सदस्य सचिव
2	डॉ. गरिमा शर्मा	सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, त्वचा रोग विभाग	सदस्य
3	श्रीमती मंजूलता बाज	एस.डी.ओ. (पुलिस)	सदस्य
4	डॉ. घनश्याम साहू	सहायक अस्पताल अधीक्षक	सदस्य
5	डॉ. भूपेन्द्र सिन्हा	जूनियर रेसीडेंट मेडिसीन विभाग	सदस्य
6	डॉ. निखिल गोस्वामी	अस्पताल सलाहकार	सदस्य
7	श्री भूपेन्द्र कुमार साव	शासकीय अधिकारी	सदस्य
8	श्रीमती माधुरी ताण्डिया	नर्सिंग सिस्टर	सदस्य

उक्त समिति बैठक में महिला फौकल्ली, महिला चिकित्सकों, महिला कर्मियों एवं छात्राओं से उनकी सुरक्षा एवं अन्य परेशानियों पर चर्चा कर उसके निराकरण हेतु संस्था स्तर पर कार्यवाही करेगी एवं पालन प्रतिवेदन आयुक्त कार्यालय को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेगी।

Man
31.8.24

अधिष्ठाता,

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,

महासमुन्द (छ.ग.)

Pm

क्रमशः2